

ज्ञारखण्ड सरकार
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(मत्स्य प्रभाग)

सं० सं०-म० न०-०-II-उ० यो०-५१/२०१७-१८/०६ रा० एकाजुर मत्स्य, रॉची, दिनांक ०७/०५/२०१८
प्रेषक,

पूजा सिंघल, भा० प्र० से०
सरकार के सचिव।

सेवा में,

* ब्रॉनौपचारिक
रूप से परामर्शित

द्वारा:-

विषय-

महाशय,

महालेखाकार
ज्ञारखण्ड, रॉची।

आन्तरिक वित्तीय सलाहकार* ।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत कुल मो० 840.00 लाख (आठ करोड़ चालीस लाख) रु० मात्र के अनुमानित लागत की स्वीकृति एवं व्यय के संबंध में।

निदेशानुसार उपरोक्त विषयक सामान्य विभागीय राज्यादेश सं० 06 दिनांक 15.04.2017 एवं आॅनलाईन स्वीकृत्यादेश सं० 194 दिनांक 11.04.2017 के क्रम में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में संलग्न ऑन लाईन स्वीकृत्यादेश सं० ३.१.७ के द्वारा राज्य योजना अंतर्गत कुल मो० 840.00 लाख (आठ करोड़ चालीस लाख) रु० मात्र की अनुमानित लागत पर मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन के तहत मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के कार्यान्वयन की स्वीकृति प्रदान की है।

2. इस योजना अंतर्गत अधिकतम 24,000 तालाबों का सर्वेक्षण कराकर डेटा-इण्टी का कार्य, मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/ मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे, केज मित्रों के द्वारा सूचना संग्रहण एवं तकनीकी सहायता, विभागीय जलसेत्र में मिश्रित मत्स्य पालन, सखी मंडल हेतु जाल सिलाई मशीन, मत्स्य बीज उत्पादकों/मत्स्य मित्रों से सीधे संवाद हेतु मोबाइल रिचार्ज कृपन, पापलट प्रोजेक्ट के रूप में अमूर कार्प के बीज का संचयन तथा जयंती रोहू का पालन एवं प्रजनन, जलाशय स्तरीय मछुआरों के लिए आईडिन्टिटी कार्ड (डिटा सहित), 50000 मत्स्य कृषकों के साथ वर्ष में दो बार गोष्ठी, प्रगतिशील मत्स्य कृषकों/बीज उत्पादकों को पुरस्कार/सम्मान आदि कार्य किये जायेंगे। साथ ही 7500 मत्स्य बीज उत्पादकों का तीन दिवसीय प्रशिक्षण तथा कार्यशाला का आयोजन तथा 9983 मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों का पाँच दिवसीय प्रशिक्षण तथा विभिन्न मत्स्य अनुसंधान कार्य के साथ अन्य स्वीकृत कार्यों पर व्यय किया जायेगा। तदनुसार संलग्न परिशिष्ट I, II, III, IV एवं V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुसार योजना एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. स्वीकृत राशि का व्यय मुख्य शीर्ष 2405-मछली पालन अंतर्गत निम्न लघु शीर्षों में बजट में उपबंधित राशि से निम्नांकित मदों में किया जायेगा, जिसके लिए समुचित योजना उद्द्यय एवं संबंधित लघु शीर्षों में राशि का बजट उपबन्ध प्राप्त है:

मॉग सं0-53 कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग (मत्स्य प्रभाग) - मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन
उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना का मद एवं विपत्र कोड (राशि लाख रु० में)

क्रमांक	लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उप योजना	स्वीकृत राशि
	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय	53S240500796200109 25.21
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमिनार/	53S240500796200321 67.00
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S240500796200323 152.95
4	35 प्रशिक्षण व्यय	53S240500796200335 126.84
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
5	59 अन्य व्यय	53S240500796200759 62.00
		उप योग : 434.00

लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना

	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय	53S240500789200109 4.95
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S240500789200323 15.50
3	35 प्रशिक्षण व्यय	53S240500789200335 39.55
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
4	59 अन्य व्यय	53S240500789200759 7.00
		उप योग : 67.00

लघु शीर्ष -101- अन्तर्देशीय मछली पालन

	विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते	
1	09 मानदेय	53S240500101200109 36.73
	विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय	
2	21 प्रचार/प्रसार/सेमिनार	53S240500101200321 27.50
3	23 आपूर्ति एवं सामग्री	53S240500101200323 105.70
4	35 प्रशिक्षण व्यय	53S240500101200335 119.07
	विस्तृत शीर्ष-07-अन्य व्यय	
5	59 अन्य व्यय	53S240500101200759 50.00
		उप योग : 339.00

तीनों लघु शीर्षों में स्वीकृत राशि का सकल योग- 840.00 लाख रु० (आठ करोड़ चालीस लाख रु०) मात्र।

4. (क) वर्ष 2016-17 में मत्स्य प्रसार योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 26.04.2016 एवं वर्ष 2017-18 के राज्यादेश सं0 06 दिनांक 15.04.2017 के क्रम में तालाबों का सर्वेक्षण कराया जायेगा।
(ख) मत्स्य मित्रों के द्वारा मछुआरों/ मत्स्य कृषकों तथा इस कार्य से संबद्ध व्यक्तियों के सूचिकरण एवं उनके बैंक खाते के आधार सीडिंग हेतु मत्स्य कृषकों का सर्वे करा कर प्राप्त सूचनाओं को सॉफ्ट एवं हार्ड कॉर्पो के रूप में सभी जिला मत्स्य कार्यालयों में सुरक्षित रखा जायेगा।

(ग) केज कल्चर के स्थलों से सूचनाओं की प्राप्ति एवं आँकड़ों के संधारण हेतु मत्स्य मित्र की तर्ज पर केज मित्र कार्य करेंगे। इनके द्वारा केज स्थल पर जाकर सूचना संग्रहण किया जायेगा एवं तकनीकी सहायता का आदान प्रदान किया जायेगा। निदेशक मत्स्य द्वारा इसके लिए दिशा निदेश एवं प्रपत्र संबंधित जिलों को निर्गति किया जायेगा।

(घ) विभागीय तालाबों में मिश्रित मत्स्य पालन का प्रत्यक्षण किया जाएगा, जिस पर प्रति हेक्टेयर 50,000/- रु मात्र व्यय किये जायेंगे एवं उत्पादित मछली का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समिति से बिकी मूल्य निर्धारित कराकर बिकी की जायगी तथा राशि कोषागार में जमा होगी।

(ङ) जिला स्तर पर सखी मंडल के सदस्यों को जाल, हापा आदि के सिलाई का प्रशिक्षण दिया जायेगा एवं जिलावार परिशिष्ट I, II एवं III में उल्लेखित भौतिक/वित्तीय लक्ष्यों के अनुरूप जाल/हापा सिलाई मशीन, घाग एवं अन्य उपकरणों पर राशि व्यय की जायेगी।

(ज्ञ) वित्तीय वर्ष 2017-18 के मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना के स्वीकृत राज्यादेश सं0 06 दिनांक 15.04.2017 के आलोक में मोबाइल रिचार्ज कूपन हेतु राशि व्यय की जायेगी।

(ज्य) अमूर कार्य के बीज का संचयन तथा जंयंती रोहू का पालन एवं प्रेजनन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में किया जायेगा।

(ज) जलाशय स्तरीय 11,000 मछुआरों के लिए आईडिन्टिटी कार्ड (डेटा सहित) हेतु राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्ड पर जिला मत्स्य पदाधिकारी का हस्ताक्षर होगा एवं संबंधित सभी सूचनाएँ जिला मत्स्य कार्यालय में हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी में सुरक्षित रखी जायेंगी।

(झ) प्रचार/प्रसार/सेमिनार/प्रदर्शनी/डॉक्यूमेंटरी/डाटा इंट्री तथा फोटोग्राफी आदि कार्यों के लिये भी राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। तालाबों के सर्वेक्षण हेतु डाटा इंट्री कार्य अथवा आवश्यक सॉफ्टवेयर का विकास भी इस राशि से कराया जायेगा। आवश्यक सॉफ्टवेयर विकसित करने की जवाबदेही निदेशक मत्स्य की होगी।

(ञ) राज्य, पंचायत एवं प्रखण्ड स्तर पर मत्स्य पालकों के बीच जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से वर्ष में दो बार गोप्ती का आयोजन किया जायेगा।

(ट) उत्कृष्ट मत्स्य कृषकों, मत्स्य मित्रों तथा मत्स्य बीज उत्पादकों, आरएफएफ० समूहों, केज पालकों, हैचरी संचालकों को उनके उत्कृष्ट कार्य के लिये पुरस्कार स्वरूप/ सम्मानित करने हेतु अधिकतम् राशि 30,000/-रु प्रति पुरस्कार के रूप में प्रचार-प्रसार एवं विपणन हेतु मोटरसाइकिल अथवा आईस बॉक्स मोपेड/ डीप फिजर के क्रय हेतु प्रोत्साहन राशि दी जायेगी।

5. लाभुकों का चयन समाचार पत्र में विज्ञापन के उपरान्त संबंधित जिले के उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति से नियमानुसार कराया जायेगा।

6. संबंधित जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला मत्स्य पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे लाभुकों द्वारा किये गये कार्यों से संबंधित स्थल जॉच एवं ठोस कागजाती सबूत देख कर संतुष्ट होने के बाद ही मानदेय एवं वाहन का प्रावधान तथा राशि का भुगतान करेंगे।

7. परिशिष्ट-IV में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं केन्द्रों में प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा।

क. राज्य में मत्स्य बीज की उपलब्धता सुनिश्चित कराने एवं मत्स्य बीज उत्पादकों को अद्यतन तकनीक से अवगत कराने एवं उनकी समस्याओं के निदान हेतु 7500 बीज उत्पादकों के लिये विभिन्न सत्रों में तीन दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया जायेगा। मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण के आयोजन हेतु

प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 225/-रु की दर से राशि व्यय की जायेगी एवं मार्ग व्यय तथा आवासन पर व्यय प्रशिक्षणार्थी द्वारा स्वयं किया जायेगा।

ख. मत्स्य बीज उत्पादकों के तीन दिवसीय कार्यशाला के आयोजन हेतु प्रति प्रशिक्षणार्थी अधिकतम् 1225/-रु की दर से राशि आकलित की गई है। इसमें 200/- रु की राशि प्रतिदिन की दर से प्रति बीज उत्पादक को एवं संस्थागत व्यय के रूप में 75/- रु प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रतिदिन तथा प्रशिक्षणार्थियों को आने-जाने हेतु अधिकतम प्रति प्रशिक्षणार्थी 400/- रु अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, का भुगतान किया जायेगा। कार्यशाला की राशि से आवश्यकतानुसार आरएफएफ० लाभुक समूहों, केज मत्स्य पालकों हैंचरी संचालकों तथा मत्स्य विकेताओं के समूहों की भी कार्यशाला का आयोजन किया जा सकेगा।

ग. मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/बीज उत्पादकों/अग्रणी मत्स्य पालकों को राज्य में मछली पालन की नवीन तकनीक एवं विधियों से अवगत कराने हेतु पाँच दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के आयोजन के लिये प्रशिक्षणार्थियों को यात्रा एवं मानदेय का भुगतान सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा प्रति प्रशिक्षणार्थी 200/-रु प्रतिदिन की अनुमानित दर से 1000/- रु प्रति प्रशिक्षणार्थी को भुगतान किया जायेगा एवं 75/-रु प्रति प्रशिक्षणार्थी प्रति दिन अनुमानित संस्थागत व्यय के रूप में प्रशिक्षण सत्र आयोजन अतिथि व्याख्याताओं को मानदेय एवं प्रशिक्षणार्थियों हेतु फोल्डर आदि पर व्यय की जायेगी। प्रशिक्षणार्थियों को अधिकतम 400/-रु मार्ग व्यय (अथवा वास्तविक भाड़ा जो भी कम हो, जिला मुख्यालय से मुख्यालय रॉची अधिकतम किया जायेगा। प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष तक) भुगतान किया जायेगा। प्रगतिशील मत्स्य कृषकों को राज्य के बाहर तथा राज्य में संचालित विशेष परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक परियोजनाओं/स्कीम्स के स्थल भ्रमण/प्रशिक्षण हेतु भेजा जायेगा, जिसमें प्रशिक्षण भत्ता के साथ-साथ वास्तविक मार्ग व्यय यथा समेकित वाहन-भाड़ा/बस भाड़ा अथवा ट्रेन का स्लीपर श्रेणी का भाड़ा का वहन सभी वित्तीय नियमों का पालन करते हुए किया जायेगा। राज्य के बाहर स्थानीय परिभ्रमण, प्रशिक्षण की संस्था द्वारा माँग गया संस्थागत व्यय भी अनुमान्य होगा।

इस योजना अन्तर्गत प्रशिक्षण मद में स्वीकृत राशि से विभागीय पदाधिकारियों/कर्मियों के प्रशिक्षण पर भी आवश्यकता अनुसार राशि व्यय की जा सकेगी तथा उनके वेतनमान के अनुरूप वित्त विभाग के संकल्प के अनुसार राशि का भुगतान यात्रा मद एवं प्रशिक्षण मद में किया जायेगा।

घ. झारखण्ड सरकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग द्वारा निर्गत विभागीय संकल्प स-०-७३ दिनांक 20.06.2013 के तहत मत्स्य कृषकों/मत्स्य मित्रों/मत्स्य बीज उत्पादकों के प्रशिक्षण हेतु चयन अथवा अनुशंसा का प्रत्यायोजन स्तर ग्राम पंचायत होगी एवं इसके संपादन में जिला मत्स्य पदाधिकारी/मत्स्य प्रसार पदाधिकारी/प्रशिक्षित मत्स्य मित्र आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

8. इस योजना अंतर्गत 3 प्रतिशत तक दिव्यांग नीति, झारखण्ड के तहत इच्छुक दिव्यांगों को लाभान्वित किया जा सकेगा।

9. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नव-चयनित मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों को पाँच दिनों का प्रशिक्षण देते हुए तत्संबंधी सूची को एक पुस्तिका के रूप में संकलित करते हुए प्रकाशित किया जाये ताकि समय-समय पर इन मत्स्य मित्रों/मत्स्य कृषकों से सम्पर्क करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

10. परिशिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप मत्स्य अनुसंधान कार्य किया जायेगा :

क. मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र द्वारा शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में पंगेशियस मछली का प्रत्यक्षण : फैक्ट्री फॉमूलेटेड फीड का उपयोग कर शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र अवस्थित तालाबों में पाँच टन पंगेशियस मछली के उत्पादन का लक्ष्य है जिसमें 30/- रु प्रति किलोग्राम की अनुमानित दर से कुल

मो0 1.50 लाख रु0 मात्र का व्यय किया जायेगा एवं प्राप्त मछलियों का जिला स्तरीय सुरक्षित जमा निर्धारण समेति द्वारा अनुमोदित दर पर बिकी की जायेगी।

ख. परिषिष्ट-V में उल्लिखित जिलावार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप रंगीन मछलियों का प्रजनन एवं विस्तारिकरण कार्य तथा महिलाओं के स्वनियोजन हेतु रंगीन मछलियों के पालन, संवर्धन एवं विपणन हेतु योजना संचालित की जायेगी। पूर्व से अनुसंधान केन्द्र, राँची तथा जमशेपुर अन्तर्गत संचालित रंगीन मछली इकाई हेतु महिलाओं को पूरक सामग्री उपलब्ध करायी जायेगी।

ग. म्यूजियम एवं प्रयोगशाला के रख-रखाव, विभागीय तालाबों में देशी मांगुर, कवई आदि अन्य नई मत्स्य प्रजातियों के प्रायोगिक पालन तथा मत्स्य विपणन/मत्स्य रोग पहचान एवं निदान आदि के लिए आईटी-बेस्ड कार्यक्रम/वेबसाईट/मोबाइल एप्प विकसित कराया जायेगा जिस हेतु सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान द्वारा उपलब्ध कराये जाने वाले प्रस्ताव पर निदेशक मत्स्य अलग से आवश्यक निर्गत करेंगे।

11. योजना के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची होंगे जो राशि की निकासी दिये गये भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप दिये गये आवंटन के अंतर्गत संबंधित कोषागार से करेंगे।

12. योजना के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची होंगे जो सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखण्ड के सर्वोच्च नियंत्रण अंतर्गत समस्त दायित्वों का निर्वहन करेंगे तथा समय-समय पर आवश्यक निदेश योजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु निर्गत करेंगे।

13. आपूर्ति एवं सामग्री मंद से आवश्यक क्षय वित्त विभाग द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अंतर्गत किया जायेगा।

14. इस योजना अंतर्गत अनुमानित व्यय के आधार पर मदवार राशि स्वीकृत की गई है। मदवार स्वीकृत राशि की अधिसीमा अंतर्गत पारदर्शी तरीके से सभी स्थापित प्रक्रियाओं का अनुपालन कर दर नियंत्रित करते हुये संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा राशि का व्यय सुनिश्चित किया जायेगा।

15. स्वीकृत राशि का व्यय प्राप्त आवंटन वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश पत्रांक-2561 दिनांक 17.04.98 द्वारा निरपित प्रावधानों का दृढ़ता से अनुपालन करते हुए तथा वित्तीय नियमावली व कोषागार संहिता के सुसंगत नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परियोगों के आलोक में की जायेगी।

16. वित्तीय वर्ष 2017-18 में मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत स्वीकृत मो0 760.00 लाख रु0 मात्र के विरुद्ध मो0 529.68 लाख रु0 मात्र का व्यय किया गया है।

17. वित्तीय वर्ष 2017-18 के वित्तीय एवं भौतिक उपलब्धियों पर संतुष्ट होने के उपरांत ही वित्तीय वर्ष 2018-19 में आवंटन निर्गत किया जायगा।

18. इस योजना अंतर्गत सामग्री इत्यादि के क्षय में वित्त विभाग, झारखण्ड द्वारा स्थापित प्रक्रिया/शर्तों/नियमों का सुदृढ़तापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

19. वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपलब्ध बजटीय उपबंध के अंतर्गत ही व्यय होगा।

20. इस योजना के अंतर्गत कोई अग्रिम समायोजन हेतु लंबित नहीं है।

21. यह पूर्णतः राज्य योजना है।

22. उक्त स्वीकृत्यादेश मंत्रिमण्डल सचिवालय एवं समन्वय विभाग की अधिसूचना सं0-सी0एस0-2/आर0-01-2005-301 दिनांक 11 मार्च, 2015 के द्वारा प्रशासी विभाग को प्रदत्त वित्तीय शक्ति के आलोक में निर्गत किया जाता है तथा इस योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् से प्रस्ताव की स्वीकृति आवश्यक नहीं है।

23. स्वीकृत्यादेश प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।
 24. स्वीकृत्यादेश प्रारूप पर विभागीय आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन
 दिनांक 07/05/2018
 (पूजा सिंघल)
 सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06/राष्ट्रीकार्यमत्स्य / राँची, दिनांक 07/05/2018
 प्रतिलिपि : कोषागार पदाधिकारी (सभी) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 07/05/2018
 सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06/राष्ट्रीकार्यमत्स्य / राँची, दिनांक 07/05/2018
 प्रतिलिपि : निदेशक मत्स्य, झारखण्ड, राँची, जिला मत्स्य पदाधिकारी-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी (सभी), जिला मत्स्य पदाधिकारी (सभी), सहायक मत्स्य निदेशक, अनुसंधान, राँची एवं मुख्य अनुदेशक, मत्स्य किसान प्रशिक्षण केन्द्र, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 07/05/2018
 सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06/राष्ट्रीकार्यमत्स्य / राँची, दिनांक 07/05/2018
 प्रतिलिपि : संयुक्त मत्स्य निदेशक/उप मत्स्य निदेशक (सभी)/ प्रबंध निदेशक, झास्कोफिश, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

दिनांक 07/05/2018
 सरकार के सचिव

ज्ञापांक 06/राष्ट्रीकार्यमत्स्य / राँची, दिनांक 07/05/2018
 प्रतिलिपि : योजना सह वित्त विभाग (बजट शाखा वित्त प्रभाग), झारखण्ड, राँची/आओ विभाग, सलाहकार, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग/सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रधान आप सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी उपायुक्त एवं उप विकास आयुक्त/माननीय विभागीय मंत्री के प्रधान आप सचिव/मुख्य सचिव एवं विकास आयुक्त, झारखण्ड, राँची के सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

दिनांक 07/05/2018
 सरकार के सचिव

रिपोर्ट 2018-19 में यांग सम्मा-55 कृषि, पशुपालन एवं सहकारीता विभाग (मंत्र्य प्रभाग) मुख्य राज्य 2005-मध्ये भारत-समुद्र

卷之三

(पूजा सिध्दल)

卷之三

नोट :- कर्मानुकूल रागी जो आवेदन नहीं उठाया जाए

(पूजा सिंधुल)

विस्तृत शीर्ष-०१-नेहरान एवं भारती-०२-मानदेय						विस्तृत शीर्ष-०३-प्रापानिक व्यष्टि-२३-बालूर्ति एवं समयो						विस्तृत शीर्ष-०४-व्यष्टि-२३-बालूर्ति एवं समयो											
मस्तक मिसो के द्वारा गतान्ते गतान्ते			मस्तक मिसो के द्वारा गतान्ते गतान्ते			विभागीय गतान्ते में मिसिर्व			हेतु चतुर्विंशति मानीन, शाम एवं ब्रह्म चमकान			मोमित रिचर्ड बूटन			बलामाय त्वयै अमुखारो के लिये बारिटटी कार्ड डिवा			मस्तक कृष्णो को गोदी			प्रत्यन्नाप समान		
का नाम	का संदर्भ	भौतिक तत्त्व (सं. मे.)	विचित्र तत्त्व (तत्त्व क्षमा)	भौतिक तत्त्व (सं. मे.)	विचित्र तत्त्व (तत्त्व क्षमा)	भौतिक तत्त्व (सं. मे.)	विचित्र तत्त्व (तत्त्व क्षमा)	भौतिक तत्त्व (सं. मे.)	विचित्र तत्त्व (तत्त्व क्षमा)	भौतिक तत्त्व (सं. मे.)	विचित्र तत्त्व (तत्त्व क्षमा)	भौतिक तत्त्व (सं. मे.)	विचित्र तत्त्व (तत्त्व क्षमा)	भौतिक तत्त्व (सं. मे.)	विचित्र तत्त्व (तत्त्व क्षमा)	भौतिक तत्त्व (सं. मे.)	विचित्र तत्त्व (तत्त्व क्षमा)	भौतिक तत्त्व (सं. मे.)	विचित्र तत्त्व (तत्त्व क्षमा)				
१ राज्ञी	१४०	०.०७	१४००	०.२८	०.५०	०.२५	०	०.००	०	४०	०.२०	०	०.००	६०	०.१२	०	०.००	०.३०	१.७०				
२ चूंटी	४०	०.०२	८००	०.१६	०.००	०.००	०	०.००	५०	०.२५	०	०.००	१००	०.२०	०	०.००	०.६७						
३ गुमता	१२०	०.०६	८००	०.१६	०.००	०.००	०	०.००	२०	०.१०	०	०.००	६०	०.१२	०	०.००	०.३७						
४ सिंहदेवा	६०	०.०३	६००	०.१२	०.००	०.००	०	०.००	४०	०.२०	०	०.००	६०	०.१२	१	०.३०	०.७७						
५ लोहिराता	६०	०.०३	६००	०.१२	०.००	०.००	०	०.००	३०	०.१५	०	०.००	१००	०.२०	१	०.३०	०.८१						
६ लतोहराता	८०	०.०४	६००	०.१२	०.००	०.००	०	०.००	३०	०.१५	५०	०.०८	१००	०.२०	१	०.३०	०.९५						
७ पा. सिंहदूस	-१२०	०.०६	८००	०.१६	०.००	०.००	५	०.७५	३०	०.१५	०	०.००	१२०	०.२४	१	०.३०	१.५६						
८ पूर्वी सिंहदूस	१२०	०.०६	८००	०.१६	०.००	०.००	०	०.००	३०	०.१५	१००	०.१५	१२०	०.२४	०	०.००	१.०२						
९ सरथायनेता	१४०	०.०७	८००	०.१६	०.५०	०.२५	०	०.००	३०	०.१५	५०	०.०८	६०	०.१२	१	०.३०	०.८५						
१० दुमका	८०	०.०४	८००	०.१६	०.००	०.००	०	०.००	३०	०.१५	०	०.००	६०	०.१२	०	०.००	०.४६						
११ अमरतार्दा	६०	०.०३	८००	०.१६	०.००	०.००	५	०.७५	४०	०.२०	०	०.००	६०	०.१२	०	०.००	१.२६						
१२ साहेनगांज	६०	०.०३	६००	०.१२	०.००	०.००	०	०.००	४०	०.२०	०	०.००	६०	०.१२	०	०.००	०.४७						
१३ पाकुड़	६०	०.०३	६००	०.१२	०.००	०.००	०	०.००	७०	०.३५	१००	०.१५	६०	०.१२	१	०.३०	१.४३						
१४ हलारीबाग	१२०	०.०६	१०००	०.२०	०.५०	०.२५	०	०.००	३०	०.१५	५०	०.०८	१००	०.२०	१	०.३०	१.१७						
१५ रामगंग	६०	०.०३	८००	०.१६	०.५०	०.२५	०	०.००	७०	०.३५	१००	०.१५	१००	०.२०	१	०.३०	१.२७						
१६ कोइरामा	५०	०.०३	१२००	०.२४	०.००	०.००	०	०.००	७०	०.३५	१००	०.१५	१००	०.२०	०	०.००	१.२९						
१७ चतरा	६०	०.०३	८००	०.१६	०.००	०.००	५	०.७५	३०	०.१५	५०	०.०८	६०	०.१२	०	०.००	१.०९						
१८ बोकारो	८०	०.०४	८००	०.१६	०.५०	०.२५	०	०.००	५०	०.२५	१००	०.०८	१००	०.२०	०	०.००	१.७२						
१९ गिरीहीर	६०	०.०३	८००	०.१६	०.५०	०.२५	५	०.७५	५०	०.२५	५०	०.०८	१००	०.२०	०	०.००	१.००						
२० घटनार	१००	०.०५	१०००	०.२०	०.५०	०.२५	०	०.००	४५	०.२३	५०	०.०८	६०	०.१२	०	०.००	०.५३						
२१ गोड़दा	६०	०.०३	४००	०.०८	०.००	०.००	०	०.००	३०	०.१५	५०	०.०८	६०	०.१२	०	०.००	०.८१						
२२ पलमू	६०	०.०३	९२५	०.१९	०.५०	०.२५	०	०.००	३०	०.१५	५०	०.०८	६०	०.१२	०	०.००	०.४९						
२३ गढ़वा	६०	०.०३	८००	०.१६	०.००	०.००	०	०.००	२०	०.१०	५०	०.०८	६०	०.१२	१	०.३०	१.१९						
२४ देवधर	१४०	०.०७	१०००	०.२०	०.५०	०.२५	०	०.००	६०	०.३०	६०	०.०८	१२०	०.२४	१	०.३०	२.३४५						
-२०००-						-१९७२५	-३.९५	-४.००	-२.००	-३.००	-१०००	-५.००	-२०००	-४.५०	-२०००	-५.००	-१०००	-५.००	-२०००	-५.००			

नेतृत्व को आवंटन नहीं समझा जाय।

(पंजाब संघर्ष)

दिवाली वर्ष 2018-19 ने योग चंचा-जू-खणि, पुष्पत एवं महादीता विभग(भृत्य प्रमा) मुख शॉप-एवेन्यू-नेटवर्को गठन-न्यू-मत्य प्रधा, बनुष्यन एवं प्रोत्याल योना बाटत दिताराम नीतिक एवं दितीय तस

क्रम	सम्पन्ना / निया का नम	मत्य शॉप रत्नालो (प्रियालाली भी रत्ना का गतिक तस)			मत्य शॉप रत्नालो (प्रियालाली भी रत्ना का गतिक तस)			मत्य शॉप रत्नालो (प्रियालाली भी रत्ना का गतिक तस)			मत्य शॉप रत्नालो (प्रियालाली भी रत्ना का गतिक तस)			मिस्टर शॉप-एवेन्यू- नेटवर्क नाम	मिस्टर शॉप-एवेन्यू- नेटवर्क नाम	नियोग योग (तात स्थ दे)		
		ना. १० रियाल ग्रीलग	ना. ११ रियाल ग्रीलग	ना. १२ रियाल ग्रीलग	ना. १३ रियाल ग्रीलग	ना. १४ रियाल ग्रीलग	ना. १५ रियाल ग्रीलग	ना. १६ रियाल ग्रीलग	ना. १७ रियाल ग्रीलग	ना. १८ रियाल ग्रीलग	ना. १९ रियाल ग्रीलग	ना. २० रियाल ग्रीलग	ना. २१ रियाल ग्रीलग					
१	१०- बन्दरोंग बन्दरोंग बन्दरोंग बन्दरोंग	१००- १००- १००- १००-	१००- १००- १००- १००-	१००- १००- १००- १००-	१००- १००- १००- १००-	१००- १००- १००- १००-	१००- १००- १००- १००-	१००- १००- १००- १००-										
१	१ रोची	०	३५०	९०	४४०	०	३५०	९०	४४०	०	५४१	९०	६३१	०	०.००	०.००	०.००	०.००
२	२ खेटी	०	१५०	४०	१९०	०	१५०	४०	१९०	०	२८०	५०	३३०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
३	३ गुमला	०	२५०	५०	३००	०	२५०	५०	३००	०	४५०	९०	५४०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
४	४ सिमडोगा	०	१८०	२०	२००	०	१८०	२०	२००	०	२८०	५०	३३०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
५	५ तोहिरदा	०	१८०	४०	२२०	०	१८०	४०	२२०	०	२८०	५०	३३०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
६	६ तातहार	०	२५०	३०	२८०	०	२५०	३०	२८०	०	३००	६०	४६०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
७	७ पो सिराम	०	३००	३०	३३०	०	३००	३०	३३०	०	३८०	०	४००	६०	४५०	०.००	०.००	०.००
८	८ पूर्वी सिराम	०	२५०	३०	२८०	०	२५०	३०	२८०	०	३००	७०	५३०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
९	९ घरायकोता	०	३००	३०	३३०	०	३००	३०	३३०	०	३८०	६०	४१०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
१०	१० दुम्नाना	०	२५०	३०	२८०	०	२५०	३०	२८०	०	३००	६०	३१०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
११	११ जम्मताँ	०	१८०	३०	२१०	०	१८०	३०	२१०	०	२६०	५०	३१०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
१२	१२ साहेराज	०	१८०	४०	२२०	०	१८०	४०	२२०	०	२३०	५०	२८०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
१३	१३ पान्कट	०	१८०	४०	२२०	०	१८०	४०	२२०	०	२३०	४०	३००	०	०.००	०.००	०.००	०.००
१४	१४ हुतारीबाग	३५०	०	७०	४२०	०	७०	४२०	४००	०	४९०	०	४९०	०	०.००	०.००	०.००	०.००
१५	१५ रामाट	३००	०	३०	३३०	०	३०	३३०	३६०	०	५०	४१०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१६	१६ कोडरामा	२९०	०	७०	३६०	०	७०	३६०	३९०	०	५०	४४०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१७	१७ चहता	३००	०	३०	३३०	०	३०	३३०	३२०	०	५०	३७०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१८	१८ दोलातो	३५०	०	५०	४००	०	५०	४००	३९०	०	९०	४८०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
१९	१९ गिरिडीह	३००	०	५०	३५०	०	५०	३५०	३५०	०	७०	४२०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२०	२० प्रनदार	३२०	०	४५	३६५	०	४५	३६५	४३०	०	७०	५०	५०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२१	२१ गोड्डा	३००	०	४५	३४५	०	४५	३४५	३१०	०	५०	३६०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२२	२२ पत्तम्	३३०	०	३०	३६०	०	३०	३६०	३०	०	७०	३७०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२३	२३ गढ़वा	३२०	०	२०	३००	०	२०	३००	३१०	०	६०	३७०	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२४	२४ देवपर	३६०	०	६०	४४०	०	६०	४४०	४५८	०	४४	५०२	०	०.००	०.००	०.००	०.००	०.००
२५	२५ गाँगोलो (लिलू ना रो)	३५०	०	२२५	१६.८८	४२.८८	३६.७५	१२.२५	११.०८	६८.३१	७६.३४	२५.०५	१६९.७१	७.००	३४.००	३५.००	३५४.५६	३५४.५६
	२६ गाँगोलो (लिलू ना रो)	७.८८	-६.७५	-२.२५	-१६.८८	-४२.८८	-३६.७५	-१२.२५	-११.०८	-६८.३१	-७६.३४	-२५.०५	-१६९.७१	-७.००	-३४.००	-३५.००	-३५४.५६	-३५४.५६

(तात स्थ दे)

(प्रियालाली)

(मिस्टर शॉप-एवेन्यू-नेटवर्क)

(संकारक-के तत्त्वावधार)

परिप्रेक्षण V

वित्तीय वर्ष 2018-19 में मांग संख्या-53-कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग(गत्त्य प्रभाग)मुख्य शीर्ष-2405-मछली पालन-उप शीर्ष-20-मत्स्य प्रसार, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण योजना अंतर्गत जितावार योग्यिक एवं वित्तीय लक्ष्य

क्र.	कार्य	माहिती प्रक्रिया	1	2	3	4	5	6	कुल वित्तीय योग (तालिका में)		
			अनुसंधान	जमशेदपुर	जोकारो	गुमता	राँची				
क. लघु शीर्ष-101-अन्तर्देशीय मछली पालन											
i) विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री											
1.	शालीमार मत्स्य प्रक्षेत्र में 5000 किलोग्राम पांस मछली का उत्पादन का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.50		
2.	पूर्व संचालित रोपीन मछली इकाईयों (रोपीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का योग्यिक लक्ष्य (संख्या में)	प्रक्रिया	0	40	0	0	0	0	40		
3.	पूर्व संचालित रोपीन मछली इकाईयों (रोपीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
4.	समेकिन्त मत्स्य पालन, रख-रखाव, नाव जाल एवं अन्य प्रायोगिक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.50		
5.	प्रयोगाशास्त्र, पुस्तकालय एवं म्यूजियम का रखरखाव एवं अन्य प्रयोगात्मक कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
6.	विभागीय प्रक्षेत्र में जंघती रोह के प्रयोगिक तौर पर पालन तथा प्रजनन का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	1.00		
उप योग			9.00	14.00	0.00	1.00	0.00	0.00	24.00		
ii) विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय											
7.	2000 मिटटी पानी की जांच का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		
योग : 101-अन्तर्देशीय मछली पालन:			9.00	16.00	0.00	1.00	0.00	0.00	26.00		
ख. लघु शीर्ष-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना											
i) विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री											
1.	मिटटी पानी जांच किट तथा रोपीन मछलियों का प्रजनन एवं विस्तारकरण कार्य का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	0.00	7.00	3.00	0.00	0.00	0.00	10.00		
2.	पूर्व संचालित रोपीन मछली इकाईयों (रोपीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का योग्यिक लक्ष्य (संख्या में)	प्रक्रिया	0	58	35	0	0	0	93		
3.	पूर्व संचालित रोपीन मछली इकाईयों (रोपीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	0.00	5.80	3.50	0.00	0.00	0.00	9.30		
4.	विभागीय तालिका में देशी मांगुर तथा कवई आदि नई प्रजातियों के प्रायोगिक पालन का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00		
5.	विभागीय प्रवेशन में जंघती रोह के प्रयोगिक तौर पर पालन तथा प्रजनन का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	9.00		
उप योग			5.00	14.80	6.50	0.00	3.00	3.00	32.30		
ii) विस्तृत शीर्ष-797-अन्य व्यय-59-अन्य व्यय											
6.	आई.टी. बैंड कार्यक्रम का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00		
iii) विस्तृत शीर्ष-01-वेतन एवं भत्ते-09-मानदेय											
7.	अनुसंधान तथा जमशेदपुर केन्द्र में रोपीन मछली प्रजनन हेतु मानदेय का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	0.00	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	5.00		
योग : 796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोजना:			5.00	18.30	9.00	0.00	3.00	3.00	38.30		
ग. लघु शीर्ष-789- अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना											
i) विस्तृत शीर्ष-03-प्रशासनिक व्यय-23-आपूर्ति एवं सामग्री											
1.	पूर्व संचालित रोपीन मछली इकाईयों (रोपीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का योग्यिक लक्ष्य (संख्या में)	प्रक्रिया	0	35	5	0	0	0	40		
2.	पूर्व संचालित रोपीन मछली इकाईयों (रोपीन मछली पालकों) हेतु पूरक सामग्री का वित्तीय लक्ष्य (राशि तालिका में)	प्रक्रिया	0.00	3.50	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00		
योग : 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना			0.00	3.50	0.50	0.00	0.00	0.00	4.00		
कुल योग			14.00	37.80	9.50	1.00	3.00	3.00	68.30		

नोट :- कण्णकित राशि को आवंटन नहीं समझा जाय।

(अड्डों तालि रीस हेबार रु 00 मात्र)

(पूजा सिंधल)

सरकार के सचिव